

कार्यालय—प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा,
देहरादून

सूचना

सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर (नैनीताल) के पत्रांक—उ.विशि.प./वि.प./रा.गा.न.वि./प्र.प/2012–13 दिनांक 19 नवम्बर 2012 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों के राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में शिक्षा सत्र 2013–14 हेतु कक्षा–6 में प्रवेश चाहने वाले उत्तराखण्ड राज्य में निवास कर रहे छात्र—छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु समस्त समाचार पत्रों में दिनांक 19–11–2012 को सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है प्रवेश हेतु परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रतियां मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय, खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, तथा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय से 03 दिसम्बर 2012 के पश्चात् कार्य दिवसों के दिन प्राप्त की जा सकती हं। प्रवेश हेतु पात्रता एवं अन्य निर्देशों के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति/आवेदन पत्र के प्रारूप अथवा उक्त अधिकारियों के कार्यालयों से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

<p>उप—प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय विद्यालय ननूरखेड़ा, देहरादून देहरादून</p>	<p>प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा,</p>
--	--

कार्यालय-राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा, देहरादून

कक्षा-6 में प्रवेश हेतु पात्रता एवं निर्देश

1. जस जनपद में छात्र/छात्रा कक्षा 5 में अध्ययनरत हैं वह कक्षा 6 में प्रवेश हेतु केवल उसी जनपद में संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के लिए अर्ह होगा। f
2. भ्यर्थी को उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत किसी भी जनपद में स्थित राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सत्र 2012-13 में कक्षा-5 में अध्ययनरत होना चाहिए। चयनोपरांत कक्षा 5 उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही अभ्यर्थी प्रवेश हेतु अर्ह होगा। अ
3. कक्षा 6 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी का जन्म 01 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2003 के मध्य होना चाहिए। उक्त दोनों तिथियां सम्मिलित हैं। क
4. हरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र का निर्धारण अभ्यर्थी के गतवर्षों एवं अध्ययनरत विद्यालयों के आधार पर किया जायेगा। श
5. ग्रामीण क्षेत्रों से आशय उन अभ्यर्थियों से होगा, जिन्होंने गत तीनों कक्षाएं क्रमशः 3,4 व 5 तक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालय में पूरे सत्र भर सतत अध्ययन किया है। ग
6. क भी दिन शहरी क्षेत्र के विद्यालय में अध्ययन करने वाले अभ्यार्थी को शहरी क्षेत्र का ही माना जायेगा। ए
7. यन होने के उपरांत अभ्यार्थी को प्रवेश तभी दिया जायेगा जब वह काउंसिलिंग के समय संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य के समक्ष आवेदन पत्र में दी गई समस्त प्रविष्टियों के सापेक्ष मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। अन्यथा की स्थिति को प्रवेश निरस्त माना जायेगा। च
8. वेदन पत्र-आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रतियां मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय से प्राप्त की जा सकती है। समाचार पत्र में प्रकाशित आवेदन पत्र, घोषणा एवं प्रवेश पत्र के प्रारूप को प्रिंट कराकर भी आवदन कर सकते हैं। पूरित आवेदन पत्र छात्र/छात्रा द्वारा अपने अध्ययनरत विद्यालय में जमा किया जायेगा। विद्यालय द्वारा प्राप्त सभी आवेदन पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किये जायेंगे। आवेदन पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 05.01.2013 समय साय 5 बजे तक होगी। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त एवं अपूर्ण से भरे आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अ
9. रीक्षा केन्द्र परीक्षा केन्द्र पर निर्धारण विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया जायेगा निर्धारित केन्द्र पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा, जिसकी सूचना खण्ड शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त की जा सकती है। प
10. रीक्षा तिथि 03.02.2013 (रविवार) परीक्षा अवधि प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बज तक। प
11. वेश परीक्षा का माध्यम—हिन्दी अथवा अंग्रेजी। प

खण्ड	विषय वस्तु खण्ड	प्रश्न/अंकों का विवरण
1	मानसिक परीक्षा	योग्यता 50
2	गणित परीक्षा	25
3	भाषा परीक्षा	25
योग		100

रीक्षा योजना—प्रवेश परीक्षा की अवधि दो घंटे होगी। प्रश्न पत्र में तीन खण्ड होंगे। प्रश्न पत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के अभर्त्यों द्वारा क्रमशः न्यूनतम् 40 प्रतिशत तथा 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। प्रश्नों/अंकों का विभाजन बॉक्स में दिये गये विवरणानुसार होगा। प्रवेश से संबंधित किसी जानकारी के लिए दूरभाष नं० 05947–254275 तथा 9410117848 से संपर्क कर सकते हैं।

नोट— छात्र/छात्रा जिस विद्यालय में अध्ययनरत है आवेदन पत्र उसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक कार्यालय में जमा करें। तदुपरान्त विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी के यहां जमा करेंगे।